

A-48

अनिल कुमार  
एच0जे0एस0

अर्ध0शा0प0सं0 7 / 2021  
विश्राम-कक्ष  
जिला न्यायाधीश  
दिनांक: मार्च, 01 2021


प्रिय प्रकाशनाथ जी,

कृपया अपने न्यायालय में संस्थित परिवाद संख्या- 03 / 21 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन आपके न्यायालय में दाखिल हुआ है। उक्त वाद को आपके द्वारा बतौर पीठासीन अधिकारी पंजीकृत कर विपक्षीगण को नोटिस जारी की गयी है। इससे प्रतीत होता है कि आपने उक्त वाद पर प्रसंज्ञान लेते हुए अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित की है।

कृपया इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या-सी0एल0 नम्बर18/2006/एडमिन.(ए-3)/दिनांकित: 10मई 2006 अवलोकन करें। उक्त परिपत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय के द्वारा सीधे प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता है और ऐसे वाद पर संज्ञान तभी लिया जायेगा, जब मामला सत्र न्यायालय को उपार्पित हो।

अतः आपसे अपेक्षा है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त परिपत्र के आलोक में ही कोई अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सुलभ-सुदर्भ हेतु माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त परिपत्र की प्रति को संलग्न किया जा रहा है।

सेवा में,  
श्री पी.एन.श्रीवास्तव  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भदोही।

  
जनपद न्यायाधीश  
भदोही।

संलग्नक-

उपरोक्तानुसार परिपत्र की प्रति।